


कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल

क्रमांक 211/स्था./राज./प्र.अ./लो.स्वा.यां./2020,

भोपाल दिनांक 03/07/2020

आदेश


प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दिनांक 23.05.2020 से लागू विभागीय यू.एस.ओ.आर. को कतिपय कारणों से निलंबित (Suspend) किया जाता है। आगामी आदेश तक दिनांक 3.07.2018 को जारी विभागीय यू.एस.ओ.आर. को पुनः लागू किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


3.7.2020
(के.के.सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ. क्रमांक 327/स्था./राज./प्र.अ./लो.स्वा.यां./2020,
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 03/07/2020

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन, बाणगंगा, भोपाल(म.प्र.)
3. परियोजना निर्देशक, जल निगम, विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल (म.प्र.)
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर एवं वि./यां. परिक्षेत्र भोपाल (म.प्र.)
6. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंडल / परि. मंडल ----- (म.प्र.)
7. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड / परि. खंड / मैके. खंड-- ----- (म.प्र.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


3.7.2020
प्रमुख अभियंता